II-157
C.J.

सत्र प्रकरण कमांक– 250/18 ''राज्य वि. राजादीप उफ़ राजेश दीप वगैरह''

Witness No. .....–06– ..... for ...–अभियोजन साक्षी–.... **Deposition taken the ..... –02/11/2019– .....** day **.–**मंगलवार**–.** Witness's apparent age **42** YearS

States on affirmation -शपथपूर्वक. my name is **– डॉ.कृष्ण कांत साहू s/o of .....– श्री बी.पी.साहू ...** Occupation **....–एचओडी, कार्डियो सर्जरी address :- –डॉ.बी.आर.अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर, जिला रायपुर छ.ग..–**

1– मैं डॉ.बी.आर.अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में पिछले 3 वर्षो से मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ हूं । मैंने एम.बी.बी.एस. एवं एम.एस., एम.सी.एच. की योग्यताधारी हूं ।

2– दिनांक 19.09.2018 को आरक्षक क्र. 805 अनिल मिश्रा थाना सिटी कोतवाली रायपुर के द्वारा मेरे समक्ष शिवा उर्फ शिवम् को इलाज के लिये लाया गया था । परीक्षण करने पर मैंने पाया कि बांये पैर में घुटने के पीछे एक स्टेब वूंड था, जो आरपार निकल गयी थी, उसका आकार 3 गुणा 2 सेमी दोनो साइड में था । आहत के बांये पैर में घुटने के पीछे बड़ा सूजन था, जिसमें खून भरा हुआ था । उक्त चोटों को देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि आहत को धारदार एवं नुकीली वस्तु से वार किया गया था । उक्त चोटों की प्रकृति गंभीर थी, चोट की अवधि परीक्षण से तीन घंटे के भीतर की थी । उक्त चोटें प्री–गेगेरिनियस की स्थिति (सड़ने की प्रारंभिक स्थिति) में थी, जिसका प्रभाव घुटने के नीचे भाग से पूरे पैर के तलवे तक था तथा घुटने के नीचे पिंडलियों में खून की आपूर्ति नहीं होने से उसमें कड़ापन एव सूजन (कंपार्टमेंट) आ गया था । मेरे द्वारा दिया गया परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

3– उक्त परीक्षण के बाद आहत को हमारे अस्पताल मे उपचार हेतु भर्ती किया गया एवं उसका ऑपरेशन किया गया । इस संबंध में चिकित्सकीय दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रकरण में संलग्न है ।

4– थाना सिटी कोतवाली द्वारा अपराध क्र. 318/18 जप्तशुदा कपड़ों को मुलाहिजा हेतु मेरे समक्ष तहरीर प्रदर्श पी–16 के साथ पेश किया गया, जिस पर से मैंने कपड़ो का परीक्षण क्वेरी प्रतिवेदन दिया था, जो प्रदर्श पी–16 ए है, जिस पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मैंने क्वेरी प्रतिवेदन दिया था, कि कपड़े रक्त रंजित थे और उसमें रक्त के धब्बे पाये गये थे ।

5– थाना सिटी कोतवाली द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा चाकू को मय तहरीर प्रदर्श पी–17 के साथ मेरे समक्ष पेश कर, क्वेरी किया गया था, मैंने चाकू के परीक्षण पर पाया गया था, कि जो चोट आहत लगी थी, वह इस प्रकार के चाकू से आ सकती है, जो कि चाकू के धारदार व लंबे होने से आ सकती है । मैंने यह भी अभिमत दिया कि यदि आहत का ज्यादा रक्त स्त्राव हो जाता तो उसकी मृत्यु संभावित थी या ऑपेरशन करने में देर होने पर आहत के पैर को काटना पड़ सकता था । आहत के पैर के खून की नस (पापलिटियन आर्टि एवं वेन), मसल, नर्व कट गया था, जिसको कृत्रिम नस लगाकर, खून की नस को जोड़ा गया एवं मसल एवं नर्व का रिपेयर किया गया । इस संबंध में दिया गया प्रतिवेदन प्रदर्श पी–17 ए है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त राजदीप</u> : –

6– यह कहना सही है कि जब क्वेरी हेतु जप्तशुदा चाकू को प्रस्तुत किया तो वह सीलबंद था । मैंने जब चाकू को देखा तब उसमें गोल सील लगी थी, मैं नहीं बता सकता कि उसमे विवेचक, आरोपी व गवाह के हस्ताक्षर थे या नहीं । यह कहना गलत है कि परीक्षण के समय आहत नशे में था । यह कहना गलत है कि जब कोई व्यक्ति हीरो होंडा चलाते हुये

नशे की हालत में गिर जाये तो हीरो होंडा नुकीले पार्टस से लगने से उक्त प्रकार की चोटें आ सकती है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एन.आर.साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अमरदीप</u> : –

7– यह कहना सही है कि यदि कोई मोटर सायकल से नुकीले व लंबा कांच पर गिरे तो उक्त प्रकार की चोट आ सकती है । यह कहना सही है कि कपड़े के क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 ए में कपड़े का प्रकार लेख नहीं किया हूं, स्वतः कहा कि पुलिस ने अंडरवियर, बनियान होना अपने तहरीर में लेख किया है । प्रदर्श पी–16 ए में अन्य और किसी कपड़े के प्रकार का उल्लेख नहीं है ।

8– यह कहना सही है कि मैंने आहत के फूलपेंट की कोई जांच नहीं की थी । यह सही है कि प्रदर्श पी–22 में आहत के ब्लड प्रेशर कितना था, यह लेख नहीं है । यह सही है कि जप्तशुदा कपड़े व चाकू के सील खोलने के संबंध में कोई पंचनामा तैयार नहीं किया था । मैंने प्रदर्श पी–17 ए के क्वेरी रिपोर्ट मे जप्तशुदा चाकू के जप्ती पत्र के अवलोकन बाबत् टीप नहीं लेख किया है । यह सही है कि मेरे क्वेरी के दौरान चाकू के लंबाई चौड़ाई की नाप नहीं की गयी । यह सही है कि चाकू मे खून लगा था या नहीं, इसका उल्लेख अपने मैने क्वेरी रिपोर्ट में नहीं किया है । यह कहना गलत है कि चाकू में खून नहीं लगा था, इसलिये मेरे द्वारा क्वेरी रिपोर्ट में खून लगे होने की बात नहीं लिखी गयी है । मेरे समक्ष लाये गये चाकू का मैने डायग्राम नहीं बनाया था ।

9– यह सही है कि मेरे द्वारा चाकू का फिंगर प्रिंट नही लिया गया था, स्वतः कहा कि चाकू का फिंगर प्रिंट हम लोगों के द्वारा नहीं लिया जाता है । यह कहना सही है कि इलाज के बाद आहत स्वस्थ हो गया था ।

10– यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस के तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दी थी । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा चाकू का परीक्षण कर क्वेरी रिपोर्ट नहीं दिया गया है ।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

सही/–
(श्रीमती प्रतिभा वर्मा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/–
(श्रीमती प्रतिभा वर्मा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

उक्त पूर्वगामी कथन साक्षी के बताये अनुसार लिखे गये, जिसमें अभियुक्त को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया, मेरे द्वारा श्रवणगोचरता में लिखे गये, साक्षी को उक्त कथन पढ़कर सुनाया गया, उसने सही होना स्वीकार किया, साक्षी के समक्ष मेरे द्वारा उक्त कथन प्रमाणित किया गया ।

सही/–
(श्रीमती प्रतिभा वर्मा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर ...सही/–

<u>प्रमाण पत्र</u>

मैं पुष्टि करता हूं, कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल निर्णय/आदेश/कथन में टंकित की गयी है ।

स्टेनोग्राफर का नाम : विनोद कुमार तम्बोली